



बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार




[होम](#)
[अधिनियम के बारे में](#)
[अवेदन का प्रारूप](#)
[अस्सर पूछे जानेवाले प्रश्न](#)
[प्रकाशन](#)
[कीटबैक](#)
[फोटो गैलरी](#)
[विडियो गैलरी](#)
[संपर्क करें](#)
[GET IT ON Google Play](#)

खबर प्लेन :-

परिवार दायर करने एवं पं
 आगंतुक : 12265620
 1800 345 6284

FOR CITIZEN
 Lodge Grievance
 Lodge Reminder
 Lodge Grievance

नया परिवार दर्ज करें
 प्रथम/द्वितीय अपील दर्ज करें

भागलपुर की श्रीमती शीला देवी को वर्ष 2013-14 के इंदिरा आवास योजना के तृतीय किस्त का लाभ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सहायता से प्राप्त हुआ

प्रखंड कार्यालय में अनुरोध करने के बावजूद वर्ष 2013-14 में प्राप्त इंदिरा आवास योजना के तीसरे किस्त का भुगतान नहीं होने के कारण अंततः श्रीमती शीला देवी, ग्राम-रानीबमिया, पोस्ट-पाठकडीह, प्रखंड-सन्हौला, जिला-भागलपुर ने दिनांक-18.07.2021 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवार दर्ज कराया।

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कहलगांव के द्वारा इस पर लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी, सन्हौला को तुरन्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि परिवारी का बैंक खाता PFMS से जुड़ा नहीं रहने के कारण तृतीय किस्त का लाभ नहीं दिया जा सका था।

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा परिवारी के बैंक खाता का सत्यापन करा कर तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया और दिनांक-10.09.2021 को सुनवाई में इसकी पुष्टि की गयी। परिवारी ने काफी कम समय में उनकी समस्या का समाधान हो जाने के लिए लोक शिकायत निवारण कानून का आभार प्रकट किया गया।



शिकायत का निवारण – हो गया आसान

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी लोक शिकायतें दर्ज करायें एवं निश्चित समय सीमा में समाधान पाएं

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल करें या

वेबसाइट <http://lokshikayat.bihar.gov.in/> पर जाएं